न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**
राजस्व वाद संख्या :- 49/2022
वादीः- कानाराम पुत्र पेमाराम जाति सीरवी निवासी बेरा मुलेवों की ढीमडी भगवानसिंह जी की फैक्ट्री के पीछे ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थाना

बनाम

प्रतिवादीगणः-
1. उगमादेवी पुत्री चन्द्राराम
2. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानराम
3. चन्द्रादेवी पत्नी गोपालसिंह
4. ढगलाराम पुत्र घीसाराम
5. दुर्गाराम पुत्र पेमाराम
6. मोकली पत्नी डावंरराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा मुलेवों की ढीमडी भगवानसिंह जी की फैक्ट्री के पीछे ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः- वादी - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं0 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 8 - सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 17/02/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 793 रकबा 3.1956 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 128 है। उपरोक्त खसरा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी का 47/632 व० हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 243/790 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/24 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 76/395 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 व० हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 4/79 व० हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वाद पत्र में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 128 की चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि पर मौके पर सयुक्त रूप से काबिज है व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वादपत्र में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वाद पत्र में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर सयुक्त रूप से काबिज व सयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक व हिस्से के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादी न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकता है और न ही उसे उपजाऊ बना सकता है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वादी को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत किया है। दिनांक 17.05.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यो दिखा रहे हो तब उन्होंने वादी को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अपने हिस्से की जमीन को बैचान करेंगे। तब वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कहा कि आप बिना बंटवाड़ा किये तथा बिना वादी की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नही कर सकते हो। तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने वादी की बात को न मानकर वादी को एलानिया कहा कि हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ौस दर्शाते हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हे भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 793 रकबा 3.1956 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जिसके खाता संख्या 128 है, में स्थित वादी के 47/632 व० हिस्से की भूमि का जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादी की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 28.09.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 793 रकबा 3.1956 हैक्टयर का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी के 47/632 वां हिस्सा की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	कानाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारडिया(सीरवी) मुलेवा सा.देह खातेदार	793	0.2236
	कुल योग	1	0.2236

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा
सत्यमेव जयते

2	ओमप्रकाश पुत्र हनुमानराम हिस्सा 9690/26070 जाति खारडिया(सीरवी) सा. देह खातेदार उगमादेवी पुत्री चन्दाराम हिस्सा 5186/26070 ढगलाराम पुत्र घीसाराम हिस्सा 6008/26070 दुर्गाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 5186/26070 जाति खारडिया(सीरवी) सा. देह खातेदार रहन उगमादेवी व दुर्गाराम का हिस्सा यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर	793	2.6070
	कुल योग	1	2.6070
3	चन्द्रादेवी पत्नी गोपालसिंह हिस्सा पूर्ण जाति खारडिया(सीरवी) हाम्बड सा.देह खातेदार	793	0.1332
	कुल योग	1	0.1332
4	मेकली पत्नी डावरराम हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा.बिलाडा खातेदार	793	0.1478
	कुल योग	1	0.1478
5	शामलाती रास्ता हेतु- 1.उगमादेवी पुत्री चन्द्राराम हिस्सा 1/6 जाति खारडिया(सीरवी) सा.देह खातेदार रहन यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर 2.ओमप्रकाश पुत्र हनुमानराम हिस्सा 1/6 3.कानाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/6 4.ढगलाराम पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/6 5.दुर्गाराम पुत्र पेमाराम हिस्सा 1/6 रहन यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर 6.मोकली पत्नी डावरराम हिस्सा 1/6 जाति पटेल सा.बिलाडा खातेदार	793	0.0840
	कुल योग	1	0.0840

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.10.2024 के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.10.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- कानाराम

बनाम

प्रतिवादीगण उगमादेवी

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 49/2022

दिनांक :- 17/02/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 8 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 29.10.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/2/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा